

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-ए-3-08-2019-1-पांच (24)

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संशोधन

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 2 के शीर्षक में, "प्रशमन नियम" शब्दों के स्थान पर, "प्रशमन उद्ग्रहण" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के क्रम संख्यांक (3) के सामने की सारणी में, स्तम्भ (3) में "माल" शब्दों के स्थान पर, "माल और सेवा" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम में नियम 8 में, उप नियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"11. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण--(1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के संबंध में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:--

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं;

(ख) उसके किसी भी कारबार के स्थानों के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करने दिया जाएगा, यदि वह किसी अन्य कारबार के स्थान के लिए धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है;

(ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार के स्थान ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और यथास्थिति, ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक या प्रदाय का बिल जारी करेंगे।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार का स्थान, जिसे पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार के स्थान उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।

(2) कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का चयन कर रहा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारबार के स्थान के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।

6. उक्त नियम में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“21क. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन—(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 20 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने का आवेदन किया है, वहाँ नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या उस तारीख, जिसको कि रद्दकरण चाहा गया है, जो भी पश्चात् की हो, से रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।

(2) जहां किसी समुचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 या नियम 21 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन है, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, वह ऐसे व्यक्ति का उस तारीख से प्रभावी, जो कि इसके द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगा।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, निलंबन की कालावधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और धारा 39 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(4) नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का निलंबन प्रतिसंहरित हुआ समझा जाएगा और ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसा निलंबन प्रभावी हुआ था।”

7. उक्त नियम में नियम 41 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“41 क. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर प्रत्यय का अंतरण—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 11 के उपबंधों के अनुसार कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, और वह अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में पड़े अनुपयोजित कर प्रत्यय को या तो पूर्णतः या भागतः किन्हीं या सभी नई रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को अंतरण करने

का आशय रखता है तो, इलेक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क में ब्योरा या तो सीधे या इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसा अलग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि नई रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण के समय उनके द्वारा धारित आस्तियों के मूल्य के अनुपात में वह इनपुट कर प्रत्यय अंतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'आस्तियों के मूल्य' से अभिप्रेत है कारबार के वह कुल आस्तियों का मूल्य चाहे उस पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं।

(2) नया रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरिती), सामान्य पोर्टल पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरक) द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।”।

8. उक्त नियम के नियम 42 के उपनियम (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में, “प्रविष्टि 84” शब्द और अंकों के पश्चात्, “और प्रविष्टि 92क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियम के नियम 43 में,—

(क) उपनियम (1) के खंड (छ) के स्पष्टीकरण में, “प्रविष्टि 84” शब्द और अंकों के पश्चात् “और प्रविष्टि 92क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (क) का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियम के नियम 53 में,—

(क) उपनियम (1) में “धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक” शब्दों के पश्चात् “और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नाम टिप्पण” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा :

(ख) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (झ) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्:—

“(1क) धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नाम टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर;

(ख) दस्तावेज की प्रकृति;

(ग) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः “-” और “/” के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;

(घ) दस्तावेज जारी करने की तारीख;

(ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;

(छ) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या;

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और

(झ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर ।

11. उक्त नियम में, नियम 80 में, उपनियम (3) में, "प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "उनके अलावा, जो धारा 35 की उपधारा (5) के परंतुक में निर्दिष्ट हैं" शब्दों, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 83 में,—

(क) उपनियम (1) के खंड (क) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर, "तीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(8) कोई माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी या किन्हीं क्रियाकलापों को कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो,—

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे देना ;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम विवरणी देना ;

(ग) इलेक्ट्रानिक जमा खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना ;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा करना ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना ;

(च) ई-वे बिल जनित करने के लिए सूचना देना ;

(छ) प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घालान के ब्यौरे देना ;

(ज) नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना ; और

(झ) समझौता स्कीम के अधीन कर के संदाय या उक्त स्कीम से प्रत्याहरण की सूचना फाइल करना :

परंतु जहां प्रदाय के दावे से संबंधित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन या जहां समझौता स्कीम के अधीन कर संदाय के लिए या ऐसी स्कीम से प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से पुष्टिकरण की ईप्सा की जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे आवेदन पर आगे की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है ।”।

13. उक्त नियमों के नियम 85 के उपनियम (3) में, “धारा 49” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या धारा 49क या धारा 49ख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के नियम 86 के उपनियम (2) में, “धारा 49” शब्द और अंकों के पश्चात्, “या धारा 49क या धारा 49ख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) इस प्रभाव की घोषणा कि उस दशा में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मद्दे प्रतिदाय किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा ।”।

16. उक्त नियमों के नियम 91 में,—

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु समुचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी ।”;

(ख) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा होगी ।”।

17. उक्त नियमों के नियम 92 के उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु समुचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा होगी ।”।

18. उक्त नियमों के नियम 96क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, के "निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय" शब्दों के स्थान पर, "का निर्यात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में, "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात्, "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

19. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के अनुदेश 12 में, "कारबार शीर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कारबार के स्थान" शब्द रखे जाएंगे।

20. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण : (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है।"

21. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण : (तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है।"

22. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क

[नियम 41क देखें]

धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुसरण में आईटीसी के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	अंतरक का व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	अंतरिती का व्यापार नाम, यदि कोई हो	

7. अंतरित की जाने वाली आईटीसी के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित आईटीसी की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित आईटीसी की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		

एकीकृत कर		
उपकर		

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. अंतरक से वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट जिसका किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मौजूदा रजिस्ट्रीकरण है।
2. अंतरिती से वह कारबार का स्थान निर्दिष्ट है जिसके लिए नियम 11 के अधीन पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया है।
23. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में सारणी में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"6	ई-वे बिल बनाने के लिए सूचना देना	
7	प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में चालान के ब्यौरे देना	
8	नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या निरस्त करने के लिए आवेदन फाईल करना	
9	प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय करने के लिए या उक्त स्कीम से वापसी के लिए जानकारी फाईल करना।	

24. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर4- में -

(क) खंड (6). में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"कर की दर	कुल आवर्त	(2) में रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त	प्रशमन कर रकम	
			केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5";

(ख) खंड (7) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

तिमाही	दर	मूल ब्यौरे		केन्द्रीय कर	राज्य कर	पुनरीक्षित ब्यौरे			
		कुल आवर्त	(3) में रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त			कुल आवर्त	(7) में रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01 में, नियम 89(2)(च) के अधीन घोषणा के स्थान पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी, अर्थात् :-

घोषणा (नियम 89(2)(च))

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत /आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम /प्रास्थिति।

26. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में, नियम 89(2)(च) के अधीन घोषणा के स्थान पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी, अर्थात् :-

घोषणा (नियम 89(2)(च))

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में विशेष आर्थिक जोन इकाई विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम /प्रास्थिति:

27. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में,

(क) खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"15 स्वीकृत रकम के संदाय और पूर्व जमा के ब्यौरे:-

(क) अपेक्षित संदाय के ब्यौरे:-

विशिष्टियाँ	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम

स्वीकृत रकम (क)	कर/ उपकर					<योग >	
	ब्याज					<योग >	<ग>
(ख) सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 25 करोड़ ₹0 प्रत्येक से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ ₹0 से अनधिक और उपकर के संबंध में 25 करोड़ ₹0 पूर्व जमा (विवादित कर का 10%)/ उपकर ।	शास्ति					<योग >	
	फीस					<योग >	
	अन्य प्रभार					<योग >	
	कर/उपकर					<योग >	

(ख) स्वीकृत जमा और पूर्व जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर से संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अनधिक अथवा उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक विवादित कर या उपकर के 10% पूर्व जमा) के संदाय के ब्यौरे

क्रम सं.	वर्णन	संदेय कर	नकद/क्रेडिट लेजर के माध्यम से संदत्त	प्रत्यय प्रविष्टि सं.	संदत्त कर की रकम			
					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.1	एकीकृत कर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					
.2	केन्द्रीय कर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					
.3	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					
.4	उपकर		नकद लेजर					
			प्रत्यय लेजर					

(ग) संदेय और संदत्त ब्याजविलंब, शास्ति, फीस और अन्य रकम

क्रम सं.	वर्णन	संदेय रकम				प्रत्यय प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.1	ब्याज									
2	शास्ति									
.3	विलंब फीस									
.4	अन्य विनिर्दिष्ट) (करें									

(ख) खंड 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

18. खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी (के मद (क)) में वर्णित (केवल स्वीकृत रकम) संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्यौरे, यदि कोई हों

प्रदाय का स्थानराज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम(	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
	स्वीकृत रकम [खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी (के मद (क)) में वर्णित]					

28. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एपीएल-05.-

(क) खंड 14 में,-

(i) उपखंड (क) में सारणी में “(विवादित कर का 20%)” कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 50 करोड़ ₹0 प्रत्येक से अनधिक अथवा आई जी एस टी के संबंध में 100 करोड़ ₹0 और उपकर के संबंध में 50 करोड़ ₹0 से अनधिक विवादित कर/उपकर का 20%)” कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ख) में “(विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 20% पूर्व जमा)” कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 50 करोड़ ₹0 प्रत्येक से

अनधिक अथवा आईजी एसटी के संबंध में 100 करोड़ रु० और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रु० से अनधिक विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 20% पूर्व जमा) कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे :

(ख) खंड 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“15. खंड 14 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित (केवल स्वीकृत रकम) संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्यौरे, यदि कोई हों”

प्रदाय का स्थान(राज्य)/संघ राज्य क्षेत्र का नाम(	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
	स्वीकृत रकम [खंड 14 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित]					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्रमांक एफ ए-3-08-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-08-2019-1-पांच (24), दिनांक 6 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F-A3-08-2019-1-V (24)

Bhopal, the 6th March 2019

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

AMENDMENT

Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the first day of February, 2019.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in Chapter-II, in the heading, for the words "Composition Rules", the words, "Composition Levy" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 7, in the Table, against serial number (3), in column (3), for the word "goods", the words, "goods and services" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 8, in sub rule (1),-

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso, for the words "Provided further", the word "Provided" shall be substituted.

5. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely: -

"11 Separate registration for multiple places of business within a State or a Union territory.-(1) Any person having multiple places of business within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any such place of business under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each such place of business subject to the following conditions, namely:-

(a) such person has more than one place of business as defined in clause (85) of section 2;

(b) such person shall not pay tax under section 10 for any of his places of business if he is paying tax under section 9 for any other place of business;

(c) all separately registered places of business of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered place of business of such person and issue a tax invoice or a bill of supply, as the case may be, for such supply.

Explanation.- For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any place of business of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other registered places of business of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

(2) A registered person opting to obtain separate registration for a place of business shall submit a separate application in **FORM GST REG-01** in respect of such place of business.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, mutatis mutandis, apply to an application submitted under this rule".

6. In the said rules, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely:-

“Rule 21A. Suspension of registration. - (1) Where a registered person has applied for cancellation of registration under rule 20, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of the application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings for cancellation of registration under rule 22.

(2) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29 or under rule 21, he may, after affording the said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him, pending the completion of the proceedings for cancellation of registration under rule 22.

(3) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (1) or sub-rule (2), shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39.

(4) The suspension of registration under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be deemed to be revoked upon completion of the proceedings by the proper officer under rule 22 and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect.”.

7. In the said rules, after rule 41, the following rule shall be inserted, namely:-

“Rule 41A. Transfer of credit on obtaining separate registration for multiple places of business within a State or Union territory.-(1) A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provisions of rule 11 and who intends to transfer, either wholly or partly, the unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business, shall furnish within a period of thirty days from obtaining such separate registrations, the details in **FORM GST ITC-02A** electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified in this behalf by the Commissioner:

Provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of the value of assets held by them at the time of registration.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the ‘value of assets’ means the value of the entire assets of the business whether or not input tax credit has been availed thereon.

(2) The newly registered person (transferee) shall, on the common portal, accept the details so furnished by the registered person (transferor) and, upon such acceptance, the unutilized input tax credit specified in **FORM GST ITC-02A** shall be credited to his electronic credit ledger.”.

8. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (1), in clause (i), in the Explanation, after the word and figures “entry 84”, the word, figures and letter “and entry 92A” shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 43,-

(a) in sub-rule (1), in clause (g), in the Explanation, after the word and figures “entry 84”, the words, figures and letter “and entry 92A” shall be inserted.

(b) in sub-rule (2), in the Explanation, clause (a) shall be omitted.

10. In the said rules, in rule 53,-

(a) in sub-rule (1), after the words and figures “section 31”, the words and figures “and credit or debit notes referred to in section 34” shall be omitted;

(b) in sub-rule (1) clause (c) shall be omitted;

(c) in sub-rule (1) clause (i) shall be omitted;

(d) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) A credit or debit note referred to in section 34 shall contain the following particulars, namely:-

(a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;

(b) nature of the document;

(c) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolized as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;

(d) date of issue of the document;

(e) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;

(f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered;

(g) serial number(s) and date(s) of the corresponding tax invoice(s) or, as the case may be, bill(s) of supply;

(h) value of taxable supply of goods or services, rate of tax and the amount of the tax credited or, as the case may be, debited to the recipient; and

(i) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.”.

11. In the said rules, in rule 80, in sub-rule (3), after the words “Every registered person”, the words, brackets and figures “other than those referred to in the proviso to sub-section (5) of section 35,” shall be inserted.

12. In the said rules, in rule 83, -

(a) in sub-rule (1), in clause (a), for the words “Central Board of Excise” the words “Central Board of Indirect Taxes” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), in the second proviso, for the words “eighteen months”, the words “thirty months” shall be substituted;

(c) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(8) A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person, if so authorized by him to-

(a) furnish the details of outward and inward supplies;

(b) furnish monthly, quarterly, annual or final return;

(c) make deposit for credit into the electronic cash ledger;

(d) file a claim for refund;

(e) file an application for amendment or cancellation of registration;

(f) furnish information for generation of e-way bill;

(g) furnish details of challan in **FORM GST ITC-04**;

(h) file an application for amendment or cancellation of enrolment under rule 58; and

(i) file an intimation to pay tax under the composition scheme or withdraw from the said scheme:

Provided that where any application relating to a claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration or where an intimation to pay tax under composition scheme or to withdraw from such scheme has been submitted by the goods and services tax practitioner authorized by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal and such application shall not be further proceeded with until the registered person gives his consent to the same.”

13. In the said rules, in rule 85, in sub-rule (3), after the word and figures “section 49”, the words, figures and letters “section 49A and section 49B,” shall be inserted.

14. In the said rules, in rule 86, in sub-rule (2), after the word and figures “section 49”, the words, figures and letters “or section 49A or section 49B,” shall be inserted.

15. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (2), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

“(f) a declaration to the effect that tax has not been collected from the Special Economic Zone unit or the Special Economic Zone developer, in a case where the refund is on account of supply of goods or services or both made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;”

16. In the said rules, in rule 91, -

(a) in sub-rule(2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer.”;

(b) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the payment advice in **FORM GST RFD-05** shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year in which the said payment advice was issued.”.

17. In the said rules, in rule 92, in sub-rule (4), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the order issued in **FORM GST RFD-06** shall not be required to be revalidated by the proper officer:

Provided further that the payment advice in **FORM GST RFD-05** shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year in which the said payment advice was issued.”.

18. In the said rules, in rule 96A, -

(a) in the marginal heading, for the words “Refund of integrated tax paid on export”, the word “Export” shall be substituted;

(b) in sub-rule (1), in clause (b), after the words “convertible foreign exchange”, the words “or in Indian rupees, wherever permitted by the Reserve Bank of India” shall be inserted.

19. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in instruction 12, for the words “business verticals” at both the places where they occur, the words “places of business” shall be substituted.

20. In the said rules, in **FORM GST REG-17**, at the end, the following “Note” shall be inserted, namely:-

“Note: - Your registration stands suspended with effect from ----- (date).”.

21. In the said rules, in **FORM GST REG-20**, at the end, the following “Note” shall be inserted, namely:-

“Note: - Your registration stands suspended with effect from ----- (date).”.

22. In the said rules, after **FORM GST ITC-02**, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM GST ITC-02A

[See rule 41A]

Declaration for transfer of ITC pursuant to registration under sub-section (2) of section 25

1.	GSTIN of transferor	
2.	Legal name of transferor	
3.	Trade name of transferor, if any	
4.	GSTIN of transferee	
5.	Legal name of transferee	
6.	Trade name of transferee, if any	

7. Details of ITC to be transferred

Tax	Amount of matched ITC available	Amount of matched ITC to be transferred
1	2	3
Central Tax		
State Tax		
UT Tax		
Integrated Tax		
Cess		

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Name _____

[illegible]

Date---dd/mm/yyyy

1. Transferor refers to the registered person who has an existing registration in a State or Union territory.
2. Transferee refers to the place of business for which a separate registration has been obtained under rule 11.”.

23. In the said rules, in **FORM GST PCT-05**, in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“6	To furnish information for generation of e-way bill	
7	To furnish details of challan in FORM GST ITC-04	
8	To file an application for amendment or cancellation of enrolment under rule 58	
9	To file an intimation to pay tax under the composition scheme or withdraw from the said scheme”.	

(a) in clause 6, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Rate of tax	Total Turnover	Out of turnover reported in (2), turnover of services	Composition tax amount	
			Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5";

(b) in clause 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Quart er	Rat e	Original details				Revised details			
		Total Turnov er	Out of turnov er report ed in	Centr al Tax	State/ UT Tax	Total Turnov er	Out of turnov er report ed in	Centr al Tax	State/ UT Tax

			(3), turnov er of servic es				(7), turnov er of servic es		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10";

25. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, for the declaration under rule 89(2)(f), the following declaration shall be substituted, namely:-

"DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that tax has not been collected from the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer in respect of supply of goods or services or both covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status".

26. In the said rules, in **FORM GST RFD-01A**, for the declaration under rule 89(2)(f), the following declaration shall be substituted, namely:-

"DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that tax has not been collected from the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer in respect of supply of goods or services or both covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status".

27. In the said rules, in **FORM GST APL-01**,–

(a) for clause 15, the following clause shall be substituted, namely:-

"15. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:-

(a) Details of payment required

Particulars			Centr al tax	State/ UT tax	Integ rated tax	Ces s	Total amount	
a) Admitted amount	Tax/ Cess						< total >	< total >
	Interest						< total >	
	Penalty						<total	

							>	
		Fees					<	
							total	
							>	
		Other charges					<	
							total	
							>	
	b) Pre-deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)	Tax/ Cess					<	
							total	
							>	

(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed tax and cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/ Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of tax paid			
					Central tax	State/UT tax	Integrated tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2.	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3.	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit					

			Ledger					
4.	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No	Description	Amount payable				Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/U T tax	CES S		Integrated tax	Central tax	State/U T tax	CES S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11";
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

(b) after clause 17, the following shall be inserted, namely:-

"18. Place of supply wise details of the integrated tax paid (admitted amount only) mentioned in the Table in sub-clause (a) of clause 15(item (a)), if any

Place of Supply (Name of State/UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7";
	Admitted amount [in the Table in sub-clause (a) of clause 15 (item (a))]					

28. In the said rules, in **FORM GST APL-05**, -

(a) in clause 14,-

(i) in sub-clause (a), in the Table, for the brackets, figures and words "(20% of disputed tax)", the brackets, figures, words and letters "(20% of disputed tax/cess but not exceeding Rs.50 crore each in respect of CGST, SGST or cess or not exceeding Rs.100 crore in respect of IGST and Rs.50 crore in respect of cess)" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (b), for the brackets, words and figures "(pre-deposit 20% of the disputed admitted tax and Cess)", the brackets, words, figures and letters "(pre-deposit of 20% of the disputed admitted tax and cess but not exceeding Rs. 50 crore each in

respect of CGST, SGST or cess or not exceeding Rs.100 crore in respect of IGST and Rs. 50 crore in respect of cess)" shall be substituted;

(b) after clause 14, the following shall be inserted, namely:-

"15. Place of supply wise details of the integrated tax paid (admitted amount only) mentioned in the Table in sub-clause (a) of clause 14 (item (a)), if any

Place of Supply (Name of State/UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Admitted amount [in the Table in sub-clause (a) of clause 14 (item (a))]					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.